भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2596

दिनांक 4 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

मातृत्व लाभ

2596. श्री रितेश पाण्डेय :

श्री सय्यद ईमत्याज जलील :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पीएमएमवीवाई के अंतर्गत मातृत्व लाभ को प्रति परिवार एक बच्चे तक सीमित कर दिया है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि सभी गर्भवती महिलाएं (पहले से ही संगठित क्षेत्र में शामिल महिलाओं के अतिरिक्त) प्रति बच्चा 6,000 रुपये के मातृत्व लाभ की हकदार हैं;

(ख) क्या सरकार ने दिसंबर, 2016 में वादा किया था कि सभी गर्भवती महिलाओं को समान मातृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास सभी गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का मध्यवर्ती अवधि के दौरान कम से कम मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, मातृत्व लाभ को 2013 में तय 6,000 रुपये से बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) में निर्धारित है कि "केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी योजनाओं के अध्यधीन, प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता (पीडब्ल्यू और एलएम), सिवाय उन लोगों के जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के साथ नियमित या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में रोजगाररत या जो लोग किसी भी समय प्रभावी विधि के तहत समान

लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किश्तों में कम से कम छह हजार रुपये के मातृत्व लाभ के हकदार होंगे"।

यह मंत्रालय एनएफएसए के अनुरूप 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)' कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएमवीवाई के तहत लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में 5,000 रूपये के मातृत्व लाभ का भुगतान प्रदान किया जाता है। पात्र लाभार्थी को संस्थागत प्रसव के पश्चात जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन राशि मिलती है, ताकि औसतन एक महिला को औसतन 6000 रुपये मिल सके।

01.04.2022 से प्रभावी मिशन शक्ति के तहत, जन्म पूर्व लिंग चयन को हतोत्साहित करने और बालिका शिशु को बढ़ावा देने के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा दूसरा बच्चा लड़की होने पर भी दी जाती है जिसकी राशि 6,000 रूपये है।

दिसंबर, 2016 में सरकार ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम के अखिल भारतीय कार्यान्वयन की घोषणा की थी। इस घोषणा को 01.01.2017 से 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)' के रूप में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

*****